रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-14022020-216162 CG-DL-E-14022020-216162

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 101] No. 101] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 14, 2020/माघ 25, 1941 NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 14, 2020/MAGHA 25, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2020

सं. 13/2020-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 119(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) (इसके पश्चात इसे अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया) कि धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार इस बात से सन्तुष्ट होकर की जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्द्वारा निम्नलिखित से प्रक्रिया की पुस्तिका के पैराग्राफ-4.95 तथा 4.96 के साथ पठित विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.01(ग) के अनुसार राज्य तथा केन्द्रीय करों की छूट हेतु स्कीम के अन्तर्गत (इसके पश्चात् इसे आरओएससीटीएल स्कीम के रूप में संदर्भित किया गया है) के अन्तर्गत क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा जारी शुल्क जमा स्क्रिप (इसके बाद इसे उक्त स्क्रिप के रूप में संदर्भित किया गया है) के विरुद्ध भारत में आयातित माल को छट प्रदान करता है:-

- (क) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (जिसे बाद में उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) के अन्तर्गत उस पर उदग्रहणीय सीमा शुल्क की पूरी डयूटी; तथा
- (ख) उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1), (3) तथा (5) के अन्तर्गत उस पर उदग्रहणीय पूरा अतिरिक्त शुल्क:

928 GI/2020 (1)

बशर्ते कि उक्त स्कीम जिसके विरुद्ध भारत में आयातित माल को उपर्युक्त खण्ड (क) तथा (ख) में दिए गए शुल्कों से छूट प्रदान की जाती है, में प्रक्रिया की पुस्तिका के पैरा 4.95 तथा 4.96 की शर्तों के अनुसार अतिरिक्त तदर्थ प्रोत्साहन के अन्तर्गत प्रदत्त शुल्क क्रेडिट को शामिल कर सकता है।

- 2. यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, नामत:-
- (1) यह कि उक्त स्क्रिप में शुल्क क्रेडिट जारी किया जाता है-
- (क) वस्त्र मंत्रालय के दिनांक 8 मार्च, 2019 की अधिसूचना सं. 14/26/2016-आईटी (खण्ड-II) के तहत अधिसूचित अनुसूची 1, 2, 3 तथा 4 में यथा सूचीबद्ध उनके संबंधित दरों और सीमाओं तथा आरओएससीटीएल स्कीम के लिए परिधानों तथा मेड-अप (जिसे बाद में उक्त माल के रूप में संदर्भित किया गया है) के निर्यात के विरुद्ध किया गया है।

बशर्ते कि अतिरिक्त तदर्थ प्रोत्साहन के अन्तर्गत शुल्क क्रेडिट प्रक्रिया की पुस्तिका के पैराग्राफ 4.95 तथा 4.96 की शर्तों के अनुसार जारी किया जाता है।

- (ख) विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 3.05 के प्रावधानों के अनुसार किए गए उक्त माल के निर्यात के विरुद्ध;
- (ग) आरओसीटीएल स्कीम के अन्तर्गत माल के विरुद्ध जहां इस अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत निर्यात हेतु माल की निकासी तथा लदान की अनुमित देने का आदेश तारीख 07/03/2019 से 31/03/2020 तक किया गया है; बशर्ते कि अतिरिक्त तदर्थ प्रोत्साहन के मामले में इस अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत निर्यात हेतु माल की निकासी तथा लदान की अनुमित देने का आदेश तारीख 07/03/2019 से 31/03/2020 तक किया गया है;
- (2) यह कि इसके साथ अनुबद्ध सारणी में सूचीबद्ध श्रेणीयों अथवा क्षेत्रों के निर्यात को निर्यात निष्पादन की गणना अथवा आरओएससीटीएल स्कीम के अन्तर्गत पात्रता की संगणना के लिए गिना नहीं जाएगा;
- (3) यह कि आयात तथा निर्यात पत्तनों तथा वायु पत्तनों अथवा अंतर्देशीय कंटेनर डिपो के माध्यम से अथवा यथा संशोधित दिनांक 01.04.2015 की अधिसूचना सं. 16/15 के अनुबद्ध श्रेणी 2 में यथा उल्लेखित भू-सीमा शुल्क केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है;

बशर्ते कि प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त अथवा सीमा शुल्क आयुक्त, जैसा भी हो, क्षेत्राधिकारी के अन्तर्गत विशेष आदेश द्वारा, अथवा सार्वजनिक सूचना द्वारा अथवा उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली ऐसी शर्तों के अधीन अपने क्षेत्राधिकार के भीतर किसी अन्य पत्तन, वायु पत्तन, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो के माध्यम से अथवा किसी भू-सीमा शुल्क के माध्यम से आयात तथा निर्यात की अनुमति दे सकता है:

बशर्ते यह भी कि परिशिष्ट की परिशिष्ट 3ग में सूचीबद्ध मदों तथा विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के आयात-निर्यात प्रपत्रों के अधीन ई-कॉमर्स मंच के जरिये संव्यवहार किए गए उक्त माल का निर्यात केन्द्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित अन्तरराष्ट्रीय कूरियर टर्मिनलों अथवा ऐसे विदेशी डाकघरों के माध्यम से किया जाता है;

- (4) यह कि उक्त स्क्रिप, उक्त स्क्रिप पर विनिर्दिष्ट पंजीयन के पत्तन पर सीमा शुल्क प्राधिकारी के यहाँ पंजीकृत है;
- (5) यह कि उक्त स्क्रिप माल पर उदग्रहणीय शुल्क के डेविट के लिए निकासी के समय सीमा शुल्क के उचित अधिकारी के समक्ष उक्त स्क्रिप प्रस्तुत की जाएगी तथा सीमा शुल्क का उचित अधिकारी इस छूट के अन्तर्गत पहले किए गए डेविट तथा अधिसूचना संख्या 1/2020-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 14 फरवरी, 2020 के अन्तर्गत किए गए डेविटों को ध्यान में रखते हुए माल पर उदग्रहणीय शुल्क का डेविट सुनिश्चित करेगा किन्तु इस छूट के लिए;
- (6) यह कि उक्त स्क्रिप तथा वस्तु जोकि इसके अंतर्गत आयात की गई है वह स्वतंत्र रूप में अन्तरणीय होगा;

- (7) यह कि जहां आयातक उक्त सीमा शुल्क टेरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1), (3) तथा (5) के अन्तर्गत उदग्रहणीय सीमाशुल्क की अतिरिक्त शुल्क से छूट का दावा नहीं करता है, तो उसे सीमा शुल्क के उक्त अतिरिक्त ड्यूटी की संगणना के प्रयोजनार्थ उक्त ड्यूटी से छूट का लाभ नहीं लेने वाला माना जाएगा;
- (8) यह कि आयातक उक्त स्क्रिप में डेविट की गयी राशि के विरुद्ध उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अन्तर्गत उदग्रहणीय सीमा शुल्क की ड्यूटी की प्रतिअदायगी का लाभ लेने का पात्र होगा;
- (9) यह कि आयातक उक्त स्क्रिप में डेविट की गयी राशि के विरुद्ध सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1), (3) तथा (5) उदग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क के सेनवेट क्रेडिट अथवा प्रतिअदायगी लेने का पात्र होगा;

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना में -

- (i) "पूंजीगत माल" का अभिप्राय वही होगा जो इसके लिए विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.08 में दिया गया है;
- (ii) "विदेश व्यापार नीति" से अभिप्राय विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 से है जिसे भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 01/2015-2020, दिनांक 1 अप्रैल 2015 के द्वारा प्रकाशित किया गया है और समय-समय पर संशोधित किया गया है;
- (iii) "माल" से अभिप्राय पूंजीगत माल में निहित आगत या माल से है;
- (iv) "गारमेंट्स" और "मेडअपस" से अभिप्राय वहीं होगा जो इसके लिए वस्त्र मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 14/26/2016-आईटी (Vol. II), दिनांक 7 मार्च 2019, जिसके द्वारा स्कीम फॉर रिवेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेविस ऑन एक्स्पोर्ट ऑफ गारमेंट्स एंड मेड-अपस को अधिसूचित किया गया था में दिया गया है।
- (v) "क्षेत्रीय प्राधिकारी" का आशय विदेश व्यापार (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 6 के अन्तर्गत नियुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार अथवा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत शुल्क जमा स्क्रिप सहित प्राधिकार प्रदान करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी से है।

सारणी

निर्यात श्रेणियां अथवा क्षेत्र जो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप पात्रता के लिए अर्हक नहीं है	
(i)	सीमाशुल्क अधिनियम 1952 की धारा 65 के अंतर्गत किसी गोदाम में आंशिक तौर पर अथवा पूरी तरह से विनिर्मित;
(ii)	संगत विदेश व्यापार नीति की ड्यूटी छूट स्कीम के अंतर्गत जारी अग्रिम प्राधिकारी अथवा ड्यूटी मुक्त आयात प्राधिकारी दायित्वों के निर्वहण के लिए निर्यातित अथवा विनिर्मित
	बशर्ते कि जहाँ निर्यात दिनांक 13 अगस्त 2017 की अधिसूचना संख्या 45/2017-सीमाशुल्क शर्तों के अनुसार निर्यात दायित्वों के निर्वहण के लिए विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैराग्राफ 4.04क के अंतर्गत जारी विशेष अग्रिम प्राधिकार के विरुद्ध किया जाता है, वस्त्र मंत्रालय की दिनांक 8 मार्च 2019 की अधिसूचना सं. 14/26/2017-आईटी की अनुसूची 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट आरओएससीटीएल की दरें लागू होंगी;
(iii)	संगत विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के अनुसार शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख यूनिट के रूप में लाइससेंस शुदा यूनिट द्वारा विनिर्मित अथवा निर्यातित;
(iv)	मुक्त व्यापार जोन अथवा निर्यात प्रोसेसिंग जोन अथवा विशेष आर्थिक जोनों में स्थापित यूनिटों में किसी भी यूनिट द्वारा विनिर्मित अथवा निर्यातित;
(v)	1 अप्रैल 1997 की अधिसूचना सं. 32/1997 सीमाशुल्क का लाभ लेते हुए विनिर्मित अथवा निर्यातित

[फा. सं. 605/04/2020-डीबीके]

गोपाल कृष्ण झा, निदेशक (प्रतिअदायगी)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 2020

No. 13/2020-Customs

- **G.S.R.** 119(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods, when imported into India against a duty credit scrip (hereinafter referred to as the said scrip) issued by the Regional Authority under the Scheme for Rebate of State and Central Taxes and Levies (hereinafter referred to as the RoSCTL scheme) in accordance with paragraph 4.01(c) of the Foreign Trade Policy read with paragraphs 4.95 and 4.96 of the Handbook of Procedures from-
- (a) the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the said Customs Tariff Act); and
- (b) the whole of additional duty leviable thereon under sub sections (1), (3) and (5) of section 3 of the said Customs Tariff Act:

Provided that the said scrip, against which goods when imported into India are exempted from duties mentioned in clauses (a) and (b) above, may include duty credit provided under the Additional Ad Hoc Incentive in terms of paragraphs 4.95 and 4.96 of the Handbook of Procedures.

- 2. The exemption shall be subject to the following conditions, namely:-
- (1) that the duty credit in the said scrip is issued -
- (a) against exports of garments and made-ups (hereinafter referred to as the said goods) and their respective rates and cap as listed in Schedules 1, 2, 3 and 4 to the notification of Government of India, Ministry of Textiles (MoT) notified vide notification No. 14/26/2016-IT (Vol.II), dated 8th March, 2019 for the RoSCTL scheme:

Provided that duty credit under the Additional Ad Hoc Incentive is issued in terms of paragraphs 4.95 and 4.96 of the Handbook of Procedures;

- (b) against export of said goods made in terms of paragraph 3.05 of the Foreign Trade Policy;
- (c) against export of the said goods under the RoSCTL scheme where the order permitting clearance and loading of goods for exportation under section 51 of the said Act has been made on or after the 7th March, 2019 and till 31st March, 2020:

Provided that in case of Additional Ad Hoc Incentive, order permitting clearance and loading of goods for exportation under section 51 of the said Act has been made on or after the 7th March, 2019 and till 31st December 2019;

- (2) that the export categories or sectors listed in Table annexed hereto shall not be counted for calculation of export performance or for computation of entitlement under the RoSCTL scheme;
- (3) that the imports and exports are undertaken through the seaports, airports or through the inland container depots or through the land customs stations as mentioned in Table 2 annexed to the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue No. 16/2015-Customs, dated the 1st April, 2015, published vide number G.S.R. 252(E), dated the 1st April, 2015, as amended:

Provided that the Principal Commissioner of Customs or the Commissioner of Customs, as the case may be, may within his jurisdiction, by special order, or by a Public Notice, and subject to such conditions as may be specified by him, permit import and export through any other sea-port, airport, inland container depot or through any land customs station within his jurisdiction:

Provided further that the exports of said goods transacted through e-commerce platform subject to the items listed in Appendix 3C of Appendices and Aayat Niryat Forms of the Foreign Trade Policy are undertaken either through international courier terminals or through such foreign post offices, as notified by the Central Government;

- (4) that the said scrip is registered with the Customs Authority at the port of registration specified on the said scrip;
- (5) that the said scrip is produced before the proper officer of customs at the time of clearance for debit of the duties leviable on the goods and the proper officer of customs after taking into account the debits already made under this exemption and debits made under the notification of Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 1/2020- Central Excise, dated the 14th February, 2020 shall ensure the debit of the duties leviable on the goods, but for this exemption;
- (6) that the said scrip and goods imported against it shall be freely transferable;
- (7) that where the importer does not claim exemption from the additional duty of customs leviable under sub sections (1), (3) and (5) of section 3 of the said Customs Tariff Act, he shall be deemed not to have availed the exemption from the said duty for the purpose of calculation of the said additional duty of customs;
- (8) that the importer shall be entitled to avail of the drawback of the duty of customs leviable under the First Schedule to the said Customs Tariff Act against the amount debited in the said scrip;
- (9) that the importer shall be entitled to avail drawback or CENVAT credit of additional duty leviable under sub sections (1), (3) and (5) of section 3 of the said Customs Tariff Act against the amount debited in the said scrip;

Explanation. – For the purposes of this notification, -

- (a) "capital goods" has the same meaning as assigned to it in paragraph 9.08 of the Foreign Trade Policy;
- (b) "Foreign Trade Policy" means the Foreign Trade Policy, 2015-2020, published by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry vide notification number 01/2015-2020, dated the 1st April 2015 as amended from time to time;
- (c) "garments and made-ups" shall have the same meaning as assigned to them in the Ministry of Textiles' notification No. 14/26/2016-IT (Vol. II), dated the 7th March 2019 notifying the Scheme for Rebate of State and Central Taxes and Levies on Export of Garments and Made-ups;
- (d) "goods" means any inputs or goods including capital goods;
- (e) "Regional Authority" means the Director General of Foreign Trade appointed under section 6 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) or an officer authorised by him to grant an authorisation including a duty credit scrip under that Act.

TABLE

Sl. No.	Export categories or sectors ineligible for duty credit scrip entitlement
(1)	(2)
1.	Manufactured partly or wholly in a warehouse under section 65 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).
2.	Manufactured or exported in discharge of export obligation against an Advance Authorisation or Duty Free Import Authorisation issued under the Duty Exemption Scheme of the relevant Foreign Trade Policy:
	Provided that where exports are made against Special Advance Authorisation issued under paragraph 4.04A of the Foreign Trade Policy 2015-20 in discharge of export obligations in terms of notification No. 45/2016-Customs, dated the 13 th August, 2016, the rates of the RoSCTL scheme specified in Schedules 3 and 4 to the Ministry of Textiles' notification No. 14/26/2016-IT, dated the 8 th March, 2019 shall apply.
3.	Manufactured or exported by a unit licensed as hundred per cent. Export Oriented Unit in terms of the relevant Foreign Trade Policy.

4.	Manufactured or exported by any of the units situated in Free Trade Zones or Export Processing Zones or Special Economic Zones.
5.	Manufactured or exported availing the benefit of the notification of Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 32/1997-Customs, dated the 1st April, 1997, published vide number G.S.R. 188(E), dated the 1st April, 1997.

[F. No. 605/04/2020-DBK]

GOPAL KRISHNA JHA, Director (Drawback)